भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2276

शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार सुगमता में सुधार के लिए कदम

2276. श्रीमती रेखा शर्माः

श्री मिथलेश कुमार:

श्री सुखेन्दु शेखर रॉय:

श्री सामिक भट्टाचार्य:

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:

श्री राजिन्दर गुप्ता:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) श्रम, भूमि, कराधान तथा दिवाला संबंधी सुधारों सहित 'व्यापार सुगमता' में सुधार के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है और इनका वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) निर्यात वृद्धि की वर्तमान स्थिति क्या है और 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) निर्यात संवर्धन के लिए चिन्हित किए गए नए बाजारों और उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा निर्यातकों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें कराधान कानूनों का सरलीकरण, नव-कार्यान्वित श्रम संहिता के माध्यम से श्रम विनियमों का युक्तिकरण, पीएलआई स्कीम, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम

को पारित करना तथा त्वरित विवाद निपटान के लिए दिल्ली और मुंबई में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों की स्थापना शामिल हैं। चौथे मुख्य सचिव सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के बाद सरकार ने विनियंत्रण एवं अनुपालन बोझ संबंधी टास्क फोर्स का गठन किया है, ताकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विनियामक फ्रेमवर्क के सरलीकरण में सहायता प्रदान की जा सके।

इस टास्क फोर्स को मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग तथा डीपीआईआईटी का सहयोग प्राप्त है। यह टास्क फोर्स संरचित फील्ड वार्ता के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है जिसमें चार प्रमुख सुधार क्षेत्रों–भूमि उपयोग, भवन एवं निर्माण, श्रम सुधार तथा उपयोगिता सेवाएं/अनुमतियों पर फोकस किया जा रहा है।

एचएलसी-एनएफआरआर: गैर-वित्तीय विनियामक सुधारों पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी-एनएफआरआर) का गठन मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा गैर-वित्तीय क्षेत्र में केंद्र सरकार के विनियमों, प्रमाणनों, अनुज्ञप्तियों तथा अनुमतियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि एक आधुनिक, लचीले तथा विश्वास-आधारित विनियामक फ्रेमवर्क विकसित किया जा सके।

वर्ष 2025 के जीएसटी सुधारों ने अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाकर, कर दरों का युक्तिकरण करके तथा व्यवसायों के लिए अनुपालन एवं लेन-देन लागत को कम करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरलीकृत दो-दरों की संरचना की दिशा में अग्रसर होने तथा वस्त्र एवं उर्वरक जैसे क्षेत्रों में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार किए जाने से कर भार, कार्यशील पूंजी पर दबाव तथा व्यावसाय संचालन की लागत में कमी लाने में सहायता मिली है।

29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करने वाली चार श्रम संहिताओं ने श्रम संबंधी अनुपालन को सरल एवं युक्तिसंगत बनाकर तथा विनियामक जटिलताओं को कम करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और सुदृढ़ किया है। इन संहिताओं में सिंगल पंजीकरण, सिंगल अनुज्ञप्ति तथा सिंगल विवरणी का प्रावधान किया गया है। साथ ही, अभिलेखों, रजिस्टरों तथा विवरणियों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखरखाव करने की व्यवस्था भी की गई है।

भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने देशभर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शी, अनुमान योग्य तथा निवेशक-अनुकूल विनियामक ईकोसिस्टम विकसित करने हेतु अनेक पहलें की हैं। इन पहलों का उद्देश्य विनियामक प्रक्रियाओं का सरलीकरण, अनुपालन बोझ में कमी, डिजिटल गवर्नेंस को प्रोत्साहन तथा समग्र कारोबारी परिवेश को सुदृढ़ करना है, जिससे औद्योगिक विकास, निवेश और निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

वर्ष 2014 में शुरू की गई व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सिंगल विंडो प्रणाली, भूमि प्रशासन, श्रम विनियमन, परमिट, निरीक्षण तथा पारदर्शिता जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय-अनुकूल विनियामक सुधार लागू करने के लिए प्रोत्साहित कर प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देती है। निवेशकों के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, डीपीआईआईटी ने राज्यों की सिंगल विंडो प्रणालियों का मूल्यांकन किया है तथा आवश्यक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए एक मार्गदर्शिका जारी की है, जिसे बीआरएपी 2026 का हिस्सा बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, जिला बीआरएपी फ्रेमवर्क के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिला स्तर तक विस्तार किया गया है। इसमें डिजिटीकृत अनुमोदन, समयबद्ध निरीक्षण, पारदर्शी भूमि प्रशासन, जिला उद्योग केंद्रों को सुदृढ़ करना, निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे जमीनी स्तर पर निवेश को प्रोत्साहन तथा सार्वजनिक सेवाओं की दक्षतापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने विनियामक अनुपालनों का सरलीकरण, युक्तिकरण, डिजिटलीकरण तथा गैर-अपराधीकरण के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुपालन बोझ में कमी (आरसीबी) संबंधी पहल शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत, डीपीआईआईटी ने विनियामक अनुपालन पोर्टल की स्थापना की है, ताकि अनुपालन संबंधी बोझ को चिह्नित किया जा सके तथा सरकार और उद्योग के बीच निरंतर सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों ने अनावश्यक अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाने अथवा समाप्त करने के उद्देश्य से अधिनियमों, नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं तथा प्रक्रियाओं की व्यापक

समीक्षा की है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, देशभर में अनेक अनुपालन आवश्यकताओं में कमी की गई है, जिससे व्यवसायों पर विनियामक बोझ में उल्लेखनीय कमी आई है तथा विनियामक फ्रेमवर्क में पारदर्शिता, दक्षता और पूर्वानुमान लगाने को बढ़ावा मिला है।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023: भारत सरकार ने विनियमों का युक्तिकरण तथा आपराधिक शास्ति संबंधी प्रावधानों में कमी करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी सुधार किए हैं। संसद द्वारा पारित तथा 11 अगस्त, 2023 को उस पर स्वीकृति प्राप्त करके जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के अंतर्गत 183 प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण किया गया है।

ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने संबंधी सुधारों के अनुरूप, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 को अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इनमें से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 717 प्रावधानों को गैर-अपराधिकृत किया गया है, जबकि ईज ऑफ लिविंग को सुविधाजनक बनाने के लिए 67 प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

बी-रेडी फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत के प्रदर्शन को सुदृढ़ करने के लिए डीपीआईआईटी ने व्यापक समन्वय एवं सुधारोन्मुख प्रयास किए हैं। इनमें विभिन्न मंत्रालयों के साथ विस्तृत परामर्श, विश्व बैंक के साथ सहभागिता, समतुल्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण, वैश्विक श्रेष्ठ पद्धतियों का आकलन तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उद्योग जगत के साथ परामर्श शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक एंटरप्राइज सर्वे (डब्ल्यूबीईएस) के भारत संबंधी निष्कर्षों तथा हितधारकों से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण के आधार पर श्रम, भूमि, कराधान तथा दिवालापन संबंधी संभावित सुधारों की पहचान की गई है। बी-रेडी फ्रेमवर्क के सभी तीन स्तंभों के अंतर्गत किए गए आकलनों को सम्मिलित करते हुए भारत की बी-रेडी कंट्री रिपोर्ट के नवंबर, 2026 के आसपास विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाने की संभावना है।

इन सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस परिदृश्य में भारत की रैंकिंग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(ख): वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत का कुल निर्यात (पण्य एवं सेवाएं) 863.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के निर्यात में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। (आंकड़ों का स्रोत : डीजीसीआईएंडएस)

सरकार ने समन्वित समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए एक व्यापक संस्थागत व्यवस्था स्थापित की है। इस व्यवस्था के जरिए वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी), वस्तु बोर्ड, संबंधित मंत्रालय, राज्य सरकारें एवं जिले तथा विदेशों में स्थित भारतीय मिशन जैसे प्रमुख हितधारकों को एक साथ जोड़ा गया है। यह सहयोगात्मक व्यवस्था निरंतर निगरानी, क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करने तथा निर्यात वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए समन्वित नीतिगत कार्यक्रम सुनिश्चित करती है। भारत निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, बाजार पहुंच का विस्तार करने, निर्यात स्थलों एवं उत्पादों में विविधीकरण, व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकरण को मजबूत करने तथा सुदृढ़ एवं सतत निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित एक व्यापक व्यापार रणनीति अपना रहा है।

व्यापार समझौते: मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को आगे बढ़ाने की भारत की रणनीति बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप है। ऐसे समय में जब विभिन्न देश और व्यवसाय विश्वसनीय तथा विविधीकृत व्यापारिक साझेदारों की तलाश कर रहे हैं, एफटीए भारत को प्रमुख बाजारों तक वरीयतापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने, प्रशुल्क बाधाओं को कम करने तथा भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में सहायक हैं। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ओमान, न्यूज़ीलैंड तथा ईएफटीए देशों के साथ भारत के हालिया व्यापार समझौते निर्यात अवसरों के विस्तार के साथ-साथ संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों के संरक्षण की संतुलित रणनीति को दर्शाते हैं। इन समझौतों के माध्यम से साझेदार देशों की प्रशुल्क दरों के बड़े हिस्से को वरीयतापूर्ण सुविधा प्रदान करने से भारतीय निर्यातकों की बाजार पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

उदाहरण के लिए, भारत-यूनाइटेड किंगडम समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को वरीयतापूर्ण बाजार पहुंच प्राप्त होती है, जबकि भारत-ईयू फ्रेमवर्क यूरोपीय संघ की लगभग 97% प्रशुल्क दरों को कवर करता है, जो दोनों पक्षों के मध्य लगभग 99.5% द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसी प्रकार, भारत के न्यूज़ीलैंड के साथ समझौते के तहत भारत के सभी निर्यातों को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान की गई है, भारत-ओमान समझौता ओमान की लगभग 98% प्रशुल्क दरों को कवर करता है तथा भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) लगभग 99.6% प्रशुल्क दरों तक पहुंच प्रदान करता है। सामूहिक रूप से ये समझौते वैश्विक बाजारों के साथ भारत के एकीकरण को सुदृढ़ करते हैं, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं तथा बदलती वैश्विक आपूर्ति शृंखला की परिस्थितियों के बीच व्यापारिक साझेदारियों के विविधीकरण को सहायता प्रदान करते हैं।

निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम): सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 25,060 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को अनुमोदन प्रदान किया है। इसका उद्देश्य निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, प्रमुख व्यवधानों का समाधान करना तथा विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में भारतीय निर्यातकों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ अधिक व्यापक रूप से जोड़ा जाना सुनिश्चित करना है। यह मिशन निम्नलिखित दो प्रमुख घटकों के माध्यम से संचालित किया जाएगा:-

i. निर्यात प्रोत्साहन: यह व्यापार वित्त, ऋण संवर्धन, गुणवत्ता अनुपालन तथा वित्तीय सहायता तंत्र पर केंद्रित है; और
ii. निर्यात दिशा: यह निर्यात लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, बाजार पहुंच, ई-कॉमर्स निर्यात, जिला-स्तरीय निर्यात संवर्धन, क्षमता निर्माण तथा व्यापार सुगमता पर केंद्रित है।

इस मिशन का विशेष उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को ऋण उपलब्धता, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना तथा वैश्विक बाजार संपर्क के संबंध में लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करना है।

रणनीतिक साझेदारियां एवं ऋण सहायता: एक सतत निर्यात ईकोसिस्टम के विकास के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी), भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) तथा इंडिया पोस्ट सहित प्रमुख संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारियां स्थापित की हैं। पर्याप्त एवं वहनीय ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ईसीजीसी ने बैंकों के लिए समग्र कारोबार-निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) के अंतर्गत 80 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर बैंकों के लिए बीमा कवरेज 70% से बढ़ाकर 90% कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए 10 करोड़ रुपए तक की कार्यशील पूंजी सीमा पर बंधक मुक्त कवर का प्रावधान भी शुरू किया गया है।

सतत निर्यात ईकोसिस्टम एवं ई-कॉमर्स: कोल्ड-चेन सुविधाओं तथा माल-ढुलाई सहायता सहित अवसंरचना संबंधी कमियों का समाधान विभिन्न स्कीमों के सम्मिलन के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, डीजीएफटी अमेज़न, फेडएक्स, डेल्हीवरी तथा डीएचएल सहित प्रमुख ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित कर रहा है जिसका उद्देश्य निर्यातकों को ई-कॉमर्स माध्यमों से जोड़ना है। डाक विभाग के सहयोग से डाकघर निर्यात केंद्रों (डीएनके) के अंतर्गत उपलब्ध प्रक्रियाओं एवं सुविधाओं के संबंध में देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे विशेष रूप से दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्यातकों को ई-कॉमर्स माध्यमों से अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सके। सरकार ने भारतीय निर्यातकों को व्यापार संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म प्रारंभ किया है। यह सिंगल विंडो पोर्टल के रूप में कार्य करता है, जो विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा वाणिज्य विभाग को मिलाकर नए एवं मौजूदा निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच को सुगम बनाता है।

(ग): भारत के निर्यात संवर्धन को सुगम बनाने तथा भारत के निर्यात उत्पादों में विविधता लाने के उद्देश्य से, सरकार ने राज्य स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) तथा जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) से युक्त द्वि-स्तरीय संस्थागत फ्रेमवर्क की स्थापना की है। जिला निर्यात कार्य योजनाएं (डीईएपी) केंद्रीय, राज्य तथा जिला स्तर के हितधारकों के परामर्श से, जिला निर्यात

संवर्धन समितियों द्वारा तैयार एवं कार्यान्वित की जाती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान की जाती है, आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद व्यवधानों को मैप किया जाता है तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता एवं बाजार तक पहुंच को बढ़ाने के लिए लक्षित कार्यक्रमों की अनुशंसा की जाती है।

सरकार विभिन्न निर्यात संवर्धन पहलों, व्यापार संवर्धन कार्यकलापों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग हितधारकों के साथ समन्वय के माध्यम से स्थापित एवं उभरते हुए दोनों प्रकार के निर्यात बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाती है। भारतीय निर्यातकों को उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, पूर्वी एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, ओशिनिया तथा लैटिन अमेरिका के बाजारों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

निर्यात संवर्धन के लिए चिन्हित प्रमुख उत्पाद श्रेणियों में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, मिलेट्स, मसाले, समुद्री उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, वस्त्र एवं परिधान, हस्तशिल्प, चमड़ा उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल एवं ऑटो घटक, रसायन, आयुष एवं वेलनेस उत्पाद, रत्न एवं आभूषण तथा अन्य मूल्य वर्धित विनिर्मित उत्पाद शामिल हैं। उत्पादों एवं बाजारों की पहचान निर्यात क्षमता, तुलनात्मक लाभ, बाजार की मांग तथा हितधारकों के साथ परामर्श के आधार पर की जाती है।

(घ): सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने देशभर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) **(अनुबंध-I में संलग्न)** स्थापित किए हैं, ताकि एमएसएमई को उनके उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात के लिए मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान किया जा सके। ये निर्यात सुविधा केंद्र एमएसएमई निर्यातकों को निर्यात संबंधी स्कीमों की जानकारी के प्रसार, अनुपालन संबंधी कार्यशालाओं के आयोजन, निर्यात प्रलेखन प्रक्रियाओं में सहयोग तथा उद्योग संघों, राज्य सरकारों और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के साथ समन्वय सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम, एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, सम्मेलनों, सेमिनारों तथा विदेशों में आयोजित क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में होने वाले विभिन्न व्ययों की प्रतिपूर्ति करके उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सक्षम बनाती है। इससे एमएसएमई को प्रोद्योगिकीय उन्नति, बदलती बाजार मांग तथा नए वैश्विक निर्यात गंतव्यों के अनुरूप निरंतर स्वयं को अनुकूलित करने में सहायता मिलती है।

इसके अतिरिक्त, जिला निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार करने के संबंध में परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग तथा निर्यात की तैयारी से जुड़ी कमियों की व्यवस्थित रूप से पहचान की जाती है। इसके परिणामस्वरूप, जिला निर्यात संवर्धन समितियां (डीईपीसी) स्थानीय किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), शिल्पकार समूहों तथा एमएसएमई को उनके उत्पादों को जिला-स्तरीय प्राथमिकता उत्पाद समूहों से मैपिंग कर तथा उन्हें खरीदारों एवं वित्तीय सेवा प्रदाताओं से जोड़कर निर्यात मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत करती हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीडा) के सहयोग से निर्यातक ऑनबोर्डिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि लघु निर्यातकों, एफपीओ तथा एसएचजी को प्रवेश संबंधी बाधाओं को दूर करने और सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में सहायता मिल सके।

अनुबंध-I

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं . 2276 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

निर्यात सुविधा केंद्रों (ईएफसी) की सूची

क्रम सं.	राज्य का नाम	ईएफसी
1.	आंध्र प्रदेश	एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, विशाखापट्टनम
2.		प्रौद्योगिकी केंद्र, पुडी, वाईजैग
3.	असम	टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), गुवाहाटी
4.		एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, गुवाहाटी
5.	बिहार	एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, पटना
6.		एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, मुजफ्फरपुर
7.	छत्तीसगढ़	एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, रायपुर
8.	दिल्ली	एमएसएमई परीक्षण केंद्र, नई दिल्ली
9.		एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, नई दिल्ली
10.	गोवा	एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, मडगांव
11.	गुजरात	इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद
12.		बीआर. एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, राजकोट
13.		एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, अहमदाबाद
14.	हरियाणा	प्रौद्योगिकी केंद्र, रोहतक
15.		एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, करनाल
16.	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, सोलन
17.	जम्मू और कश्मीर	बीआर. एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, श्रीनगर
18.		एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, जम्मू
19.	झारखंड	इंडो डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर
20.		एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, रांची

21.	कर्नाटक	एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, हुबली
22.		एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, बेंगलुरु
23.	केरल	एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय, त्रिशूर
24.	मध्य प्रदेश	इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदौर
25.		प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल
26.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, इंदौर
27.	महाराष्ट्र	इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
28.		विद्युत मापन उपकरणों के लिए डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई), मुंबई
29.		एमएसएमई परीक्षण केंद्र, मुंबई
30.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, मुंबई
31.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, नागपुर
32.	मणिपुर	एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, इंफाल
33.	नागालैंड	एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, दीमापुर
34.	ओडिशा	सेंट्रल टूल रूम एंड प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर
35.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, कटक
36.	पुदुचेरी	प्रौद्योगिकी केंद्र, पुदुचेरी
37.	पंजाब	सेंट्रल टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
38.		सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैंड टूल्स (सीआईएचटी), जालंधर
39.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, लुधियाना
40.	राजस्थान	प्रौद्योगिकी केंद्र, भिवाडी
41.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, जयपुर
42.	सिक्किम	एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, गंगटोक
43.	तमिलनाडु	बीआर. एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, कोयंबटूर
44.		केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई
45.		एमएसएमई परीक्षण केंद्र, चेन्नई
46.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, चेन्नई
47.	तेलंगाना	सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन (सीआईटीएच), हैदराबाद
48.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, हैदराबाद

49.	त्रिपुरा	एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, अगरतला
50.	उत्तर प्रदेश	बीआर. एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, वाराणसी
51.		उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा
52.		प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ
53.		ग्लास उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद
54.		फ्रेगनेंस एवं फ्लेवर विकास केंद्र, (एफएफडीसी), कन्नौज
55.		केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा
56.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, आगरा
57.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, कानपुर
58.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, इलाहाबाद
59.	उत्तराखंड	एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, हल्द्वानी
60.		इलेक्ट्रोनिक्स सेवाएं और प्रशिक्षण केंद्र (ईएसटीसी), रामनगर
61.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, देहरादून
62.	पश्चिम बंगाल	केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), कोलकाता
63.		एमएसएमई परीक्षण केंद्र, कोलकाता
64.		बीआर. एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, सिलीगुड़ी
65.		एमएसएमई - विकास और सुविधा कार्यालय, कोलकाता
